


अवास्तव उपस्थिति अधिकारी बुकाम
 नियम - 28
 नमिकाथाना
 प्रार्थना पत्र संख्या 126 बुकाम अदि
 बुकाम को कार्यवाही एवं इनीशियल जल
 2022 जीसीएस नं

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तामीत
 में जारी हुए

रजिस्ट्रार होकर प्रार्थना पत्र पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र
 रजिस्ट्रार किया जाकर अपार्थी को जरिये नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस तत्त्व
 जाकर पत्रावली दिनांक 06.09.2022 को पेश हो।


 (रजेश कुमार)
 उपस्थिति अधिकारी
 नमिकाथाना (सीकर)

6/9/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र में
 आज अवास्तव अदि का स्थान कर
 रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक 4/10/22 को पेश हो।

11/10/22 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित
 PO साहब दीगर कार्य में लागू है
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/10/22
 को पेश हो।

18/10/22 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. I.P.O
 सा. दौर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक 28/10/22 को पेश हो।

28/10/22 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. I.P.O
 सा. दौर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक 02/11/22 को पेश हो।

2/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. I.P.O
 सा. दौर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक 3/11/22 को पेश हो।

3/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
 अपार्थी की तामीत सम्बन्ध रूप से ही उनी है
 वास्तुतः तामीत अनुवा कता अपार्थी के विरुद्ध

यह परिष्कृत पत्रावली आज वास्तो निर्णय / आदेश पेश हुई। यकीन रखें
कि वरिष्ठ वकील प्रो. सुनील कुमार का
निर्णय पत्रावली सिमेंट 9/11/21 के तहत लागू है।

9/11/21 पत्रावली पेश हुई। अधिकांश मामलों
आज अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किए गए
रखे हैं। पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार
दिनांक 9/11/21 को पेश की गई।

9/11/21 पत्रावली आज वास्तो निर्णय / आदेश पेश हुई। यकीन रखें
उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौरान वकील
वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराने के बजाय
हुये कथन किया कि प्रार्थीगण प्रसंगत आराजी का रिपोर्ट
खातेदार है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का दिनांक 17.06.2021
को विधिवत सीमाज्ञान भी करवा लिया है। सुझाव क्रमों से प्रार्थी
अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को पत्थरगढी
करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

यहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट, दस्तावेज, फर्द
फर्द मीका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2021 का अवलोकन
किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम ज्योतिबानगर
पटवार क्लब यला स्थित भूमि खसरा नम्बर 83, 84, 85, 86, 87,
88 किता 6 रकबा 6.88 है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। अर्थात्
प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिपोर्ट खातेदार है तथा उसे अपनी
खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने का कानूनन पूर्ण
अधिकार है। अतः प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर
बाद सम्यक सन्तुष्टि मुलाबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाया जाना
न्यायोचित है एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये
जाने योग्य है।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधीक्षकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण
स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया
जाता है कि राजस्व ग्राम ज्योतिबानगर पटवार हल्का यला स्थित
भूमि खसरा नम्बर 83, 84, 85, 86, 87, 88 किता 6 रकबा 6.88 है
की चतुसीमाओं की प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर
मुलाबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.06.2021 के पत्थरगढी की
जावें। दौरान पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा
बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को
पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर
से कम होकर दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(वृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधीक्षकारी